राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
फोन नं0 0141–2221812, ई–मेलः– pcpndt-rj@nic.in

क्रमांक : रा0पी0प्र0/स्वा0 प्रबं0/SSB Meeting/2019/110 दिनांक : 15/2/19

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 28.01.2019 को दोपहर 2 बजे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की बैठक पदेन अध्यक्ष, राज्य पर्गवेक्षण बोर्ड एवं माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 मंत्री श्री रघु शर्मा महो0 के निर्देशानुसार आरएचएसडीपी हॉल, स्वास्थ्य भवन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक में संलग्न सूची परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार माननीय सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड व अन्य सम्बन्धित आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0) महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक के एजेण्डा आइटम का संक्षिप्त ब्योरा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के राजस्थान राज्य में क्रियान्वयन बाबत् किये जा रहे कार्यो, प्रयासों एवं पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 व नियम, 1996 के संबंध में माननीय सदस्यों को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। निर्देशानुसार बैठक में एजेण्डा के बिन्दुवार चर्चा कर सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये।

1. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 27.09.2018 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।
2. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) महोदया ने माननीय सदन को अवगत कराया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 की धारा 16(क)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की की धारा 16(क)(2)(ड) के लिये तीन महिला विधानसभा सदस्य एवं 16(क)(2)(च) के लिये विभिन्न क्षेत्र के दस सदस्यों का मनोनयन किया जाना है जिस पर सम्माननीय बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त सदस्यों के मनोनयन बाबत् प्रक्रिया प्रारम्भ की जाकर यथाशीघ्र सदस्यों का मनोनयन किया जावे।
3. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) महोदया ने माननीय सदन को अवगत कराया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 की धारा 17(5)(6) के अंतर्गत राज्य, जिला एवं उपखण्ड स्तर पर गठित की जाने वाली सलाहकार समितियों में तीन विख्यात सामजिक कार्यकर्ताओं जिनमें एक महिला संगठन के प्रतिनिधि का होना आवश्यक है, का

मनोनयन किया जाना है जिस पर सम्माननीय बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त सदस्यों के मनोनयन बाबत् प्रक्रिया प्रारम्भ की जाकर यथाशीघ्र सदस्यों का मनोनयन किया जावे।

4. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) महोदया ने पीसीपीएनडीटी अधिनियमानुसार राज्य में किये जा रहे पंजीकृत केन्द्रों के निरीक्षणों की जानकारी से बोर्ड को अवगत करया कि वर्ष 2018 में कुल 2593 निरीक्षण समुचित प्राधिकारी द्वारा किये गये व अधिनियम के लागू होने से आज दिनांक तक कुल 15707 निरीक्षण किये जा चुके है। माननीय अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जिलों में जिला समुचित प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में जिले के अन्य समुचित प्राधिकारियों से अधिनियमानुसार औचक निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं किये जाने वाले निरीक्षणों की रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
5. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भ्रूण लिंग के परीक्षण के संबंध में राज्य एवं जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही/जांच की सूचना चाही गई जिस पर परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2018 में राज्य एवं जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतों पर अधिनियमानुसार की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जावेगी।
6. सोनोग्राफी मशीन पर स्थापित एक्टिव ट्रेकर मशीन एवं जीपीएस की समीक्षा करने पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जानकारी चाही गई कि शिकायत के आधार पर ट्रेकर मशीन में सुरक्षित डाटा का विश्लेषण किस आधार पर किया जाता है एवं इसके लिये विभाग द्वारा किस प्रकार के प्रयास किये गये हैं, परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) द्वारा उक्त संबधं में माननीय अध्यक्ष महोदय को किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराया गया जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया गया कि एक्टिव ट्रेकर में स्टोर डाटा का विश्लेषण एवं जीपीएस की मॉनिटरिंग के संबधं में वर्तमान में की जा रही कार्यवाही एवं की जाने वाली आगामी कार्यवाही के संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाकर पत्रावली पर प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।
7. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 104/108 पर प्राप्त होने वाली गोपनीय शिकायतों/सूचनाओं पर की जाने वाली कार्यवाही के संबधं में जानकारी चाही गई जिस पर परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) ने विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पूर्व में की जा रही कार्यवाही एवं प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निवारण के संबंध में आगामी कार्य योजना तैयार कर पत्रावली पर प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये।
8. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) ने राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड को राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा किये जा रहे डिकॉय ऑपरेशन की जानकारी देते हुए

बताया की राज्य में अब तक कुल 142 डिकॉय ऑपरेशन एवं पिछली बैठक से अब तक कुल 11 सफल डिकॉय ऑपरेशन किये जा चुके हैं जिसमें से 7 अन्तर्राज्यीय डिकॉय ऑपरेशन हरियाणा, पंजाब व गुजरात राज्य में किये गये हैं। परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई) ने जानकारी देते हुए बताया की राज्य में वर्ष 2018 में कुल 45 सफल डिकॉय ऑपरेशन किये गये एवं वर्ष 2019 में 1 सफल डिकॉय ऑपरेशन किया जा चुका है।

➢ बैठक का समापन अध्यक्ष महोदय व सभी प्रतिभागी सदस्यों का धन्यवाद के साथ किया गया।

(डॉ0 समित शर्मा)
अधक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
विशिष्ठ शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित है :—

A

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार। (Email :- sahealthminister@gmail.com)
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। (Email :- ph-sje@rajasthan.gov.in)
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर। (Email :- secretarylaw.rajasthan@rediffmail.com)
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।

B

9. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0) एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. श्री बी. एस. नन्दवाना, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं उप सचिव विधि (वादकरण), विधि विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
11. श्रीमती कविता मलिक, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) निवासी 194, गोविन्द नगर पूर्व, आमेर रोड जयपुर राजस्थान।

C

12. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं निदेशक (आईईसी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं जिला कलक्टर, राजस्थान।
15. सचिव, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, जयपुर।
16. निजी सहायक, निदेशक (SIHFW), राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान जयपुर।

D

17. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
18. संयुक्त निदेशक, जोन समस्त राजस्थान।
19. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राजस्थान राजस्थान (**जरिये जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक**)।
20. समस्त जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
21. समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी), राजस्थान (**जरिये जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक**)।
22. सहायक निदेशक अभियोजन (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
23. सलाहकार आईटी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित को जरिये ई–मेल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
24. प्रभारी पीबीआई/प्रभारी अपराध शाखा/विधि विशेषज्ञ राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/सलाहकार आईईसी/सलाहकार विधि (एनएचएम), मुख्यालय जयपुर।
25. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान को भेजकर लेख है कि दिये गये निर्देशों की अनुपालना कर रिपोर्ट अतिशीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें।
26. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
27. संबंधित रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी),
एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (पीबीआई),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।